

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

महत्वपूर्ण

संख्या-1614/सत्तर-3-2023

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा उ०प्र०
प्रयागराज।

2 कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2023

विषय : जल शक्ति अभियान "कैच द रेन" के सफल क्रियान्वयन हेतु दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-506/76-3-2023-23जीडब्लू/2017, दिनांक 14.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र में जल शक्ति अभियान "कैच द रेन" के अन्तर्गत गत वर्ष सम्मिलित कार्यों यथा-(1) Water Conservation and Rainwater Harveting, (2) Enumerating geo-tagging & inventory of all water bodies and preparation for scientific plans for water conservation based on it and, (3) setting up of jal Shakti Kendras in all Districts, (4) Intensive afforestation and (5) Awareness generation आदि के साथ उच्च शिक्षा विभाग से इस वर्ष अभियान के अन्तर्गत स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थाओं पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं व अन्य रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, कृत कार्यवाही की सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com



Tel. No.: (05452) 252244

Web: www.vbspu.ac.in

पत्रांक : 2964 /पू.वि.वि./कु०स०/2023

दिनांक : 24 जून, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकगण, विश्वविद्यालय परिसर।
3. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से कि शासन के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. सहायक कुलसचिव (विकास)।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

P.T.O.

कुलसचिव
26/6/23

I/332263/2023

प्रमुख सचिव कार्यालय में संख्या 430 NIPSHED/2023
प्राप्त दिनांक 14/06/23

संख्या- 76-3-2023-23 जीडब्ल्यू/2017

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

30 प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

30 प्र०।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3,

विषय:- "जल शक्ति अभियान: Catch The Rain" के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के संख्या-M-93012/1/2023-NWM-MOWR/449-484 दिनांक 14-03-2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि देश के सभी जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 04 मार्च 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा "Source Sustainability for Drinking Water" थीम के साथ जल शक्ति अभियान "कैच द रेन" के चतुर्थ चरण का प्रारम्भ किया गया।

2- वर्ष 2023 में "Source Sustainability for Drinking Water" जल शक्ति अभियान की थीम होने के दृष्टिगत जल जीवन मिशन द्वारा चिन्हित देश के 150 जल संकटग्रस्त जनपदों के जल स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 06 जनपद यथा- महोबा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, सोनभद्र एवं गाजियाबाद शामिल हैं। इन 06 जल संकटग्रस्त जनपदों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सभी जल स्रोतों की जियो-टैगिंग, प्रत्येक भूजल आधारित पेयजल आपूर्ति स्रोत के लिए कम से कम एक पुनर्भरण संरचना की पहचान कर उनकी जियो-टैगिंग तथा पाईप पेयजल आपूर्ति के भूजल स्रोतों का स्वच्छता सर्वेक्षण और स्रोत संरक्षण आदि कार्य किये जाने हैं।

3- जल शक्ति अभियान "कैच द रेन" के अन्तर्गत गत वर्ष सम्मिलित कार्यो यथा- (1) Water conservation and Rainwater Harvesting, (2) Enumerating, geo-tagging & making inventory of all water bodies and preparation for scientific plans for water conservation based on it and, (3) setting up of Jal Shakti Kendras in all Districts, (4) Intensive afforestation and (5) Awareness generation आदि के साथ विभिन्न विभागों द्वारा इस वर्ष अभियान के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	प्रस्तावित कार्य
1	आवास एवं शहरी नियोजन	<ul style="list-style-type: none"> शहरी क्षेत्रों में जल-संरक्षण, शहरी जल निकायों एवं शहरी आर्द्रभूमियों का जीर्णोद्धार, उनकी गणना और सीमा का चिन्हांकन, वर्षा जल संचयन (RWH) को अनिवार्य करने वाले भवन निर्माण उपनियमों को कड़ाई से लागू करना, पानी की कमी वाली नगरपालिकाओं में पानी बचाने के लिए विशेष 'वार्ड स्तरीय सभा' आयोजित कराना तथा वार्ड सभाओं में 'जल शक्ति से नारी शक्ति' के संदेश का प्रचार-प्रसार।
2	भूमि संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> पठारी क्षेत्रों के जल निकायों तथा स्प्रिंग शेड के विकास/जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान।
3	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	<ul style="list-style-type: none"> Krishi Vigyan Kendras (KVKS) द्वारा कृषि मेले का आयोजन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले मॉडलों के माध्यम से क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाना।
4	शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थाओं पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं व अन्य रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कराया

503/15/50/23

श्री अमित
8/15/6.2023

सं०- 2658 / वि०सं०उ०शि: 51/23

YS(A)

(गिरि शंकर द्विवेदी)

विश्व सचिव

उच्च शिक्षा विभाग

30 प्र० शासन।

लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2023

I/332263/2023

		जाना।
5	ग्राम्य विकास	<ul style="list-style-type: none"> 06 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए मनरेगा द्वारा जल से संबंधित कार्यों के लिए जारी धनराशि का उपयोग, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के स्रोतों के लिए पुनर्भरण संरचनाओं सहित, स्प्रिंगशेड विकास और स्रोत स्वच्छता सर्वेक्षण और सुरक्षा के कार्य किये जाय। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों का जल क्षेत्रों, क्षमता निर्माण एवं जल संरक्षण हेतु स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित किया जाना।
6	पंचायती राज	<ul style="list-style-type: none"> पंचायतों द्वारा वाटर सिक्विोरिटी प्लान तैयार कराना, ग्राम सभाओं में जल संरक्षण और जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना और 6 जल संकट वाले जिलों में विशेष ध्यान देने के साथ 'जल शपथ' लेने के लिए प्रेरित करना, 'जल शक्ति से नारी शक्ति' के संदेश का प्रचार-प्रसार करना।
7	जल निगम (ग्रामीण/शहरी)	<ul style="list-style-type: none"> पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के सभी जल स्रोतों की जियो-टैगिंग, प्रत्येक भूजल पाइप पेयजल आपूर्ति स्रोत के लिए कम से कम एक पुनर्भरण संरचना की पहचान एवं उनकी जियो-टैगिंग, भूजल आकलन हेतु निरीक्षण केन्द्र की पहचान तथा प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून में जल स्तर की मॉप।
8	कृषि	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे जैव-विविध फसलों, जो पानी की खपत नहीं करती हैं, को बढ़ावा देना जैसे कि बाजरा, बागवानी फसलों, आदि तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप और स्प्रिंकलर) 'Per Drop More Crop' कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
9	महिला बाल विकास	<ul style="list-style-type: none"> जल प्रशासन/संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना तथा जल शक्ति अभियान-IV "कैच द रेन" 2023 के विशेष संदेश 'जल शक्ति से नारी शक्ति' का प्रचार कराना। अभियान अवधि के दौरान सभी आंगनबाड़ियों के भवनों और परिसरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कराना।
10	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> 06 जल संकटग्रस्त जनपदों और स्प्रिंग-शेड क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ जिलों में वैज्ञानिक वनीकरण गतिविधियों को शुरू करना तथा वन विभाग के अधीन वन भूमि और भवनों के परिसर में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाना।
11	युवा कल्याण	<ul style="list-style-type: none"> पूरे प्रदेश में स्थित नेहरु युवा केन्द्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में जागरूकता सृजन अभियान जारी रखना।

4- उल्लेखनीय है कि "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका नियमित अनुश्रवण भारत सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान से सम्बन्धित अधिकांश कार्य मानसून के आगमन के पूर्व ही किया जाना अपेक्षित है। इसी के दृष्टिगत श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

5- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल शक्ति अभियान-IV "कैच द रेन" 2023 को गति प्रदान करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करने, उपरोक्तानुसार विभागों के उल्लिखित कार्यों के साथ-साथ जल संचयन सम्बन्धी अन्य कार्य कराते हुए सूचना भारत सरकार के MIS पोर्टल (<http://jsactr.mowr.gov.in/>) पर ससमय अपडेट कराने तथा सम्बन्धित विभागों के साथ उपरोक्त कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

I/332263/2023

संख्या- 506 (1)76-3-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, राजस्व, उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण, कृषि/कृषि शिक्षा, उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं युवा कल्याण विभाग 30 प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण/शहरी) 30 प्र0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, 30 प्र0।
- 5- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 30 प्र0।

आज्ञा से
Signed by अनुराग
श्रीवास्तव
(अनुमोदित) 01/08/2023 16:02:58
Reason Approved
प्रमुख सचिव